(10)

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या 670 / XXVII(7) / 2010

देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांकः 9–11–2000 के पूर्व के पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–54 की आठवीं अनुसूची के अनुसार पूर्व की भांति उत्तराखण्ड के शासनादेशों के अनुसार पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किया जाना।

उपर्युक्त विषयक सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के पत्र दिनांकः 10–9–2010 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को उनसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9–11–2000 के पूर्व), जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं, की प्रास्थिति अन्य राज्यों के पेंशनर्स के समान हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार दिनांकः 9–11–2000 के पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है कि अब वे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स हैं। उनका पेंशन पट्टा (पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर) उत्तर प्रदेश राज्य ने ही दिया है। अतः उत्तराखण्ड के आदेश उन पर लागू किया जाना विधि के अनुरूप नहीं है।

2–स्पष्टतः दिनांक 9–11–2000 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स तथा वे पेंशनर जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं उनकी समस्त देयता उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। अतः इनके पेंशन/पेंशन राहत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के आधार पर महालेखाकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना विधिसम्मत है।

3–महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के पेंशन, पेंशन राहत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि लाभों के भुगतानों को मुख्य लेखा

शीर्षक–2071 के बजाय लेखा शीर्षक–8793–अन्तर–राज्य उच्चन्त लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय जैसा कि अन्य राज्य के पेंशनर्स के भुगतानों हेतु किया जाता है, ताकि उक्त भुगतानित धनराशि का सही लेखांकन एवं कोषागारों द्वारा भुगतानित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

4–इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी शासनादेश दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो उत्तराखण्ड में स्थायी निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा परिवार के उन पर पूर्णतः आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान की प्रकिया को सुविधाजनक बनाते हुए इन दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स जो उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु इसी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा सुनिश्चित की गयी है।

उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 26–5–2010 को निरस्त किये जाने/संशोधित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

श्री आर0एस0 परिहार,
प्रदेश अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड,
कैम्प कार्यालय 6 प्रीति विहार, इंदिरा गाँधी मार्ग, निरंजनपुर,
पोस्ट, माजरा, जनपद देहरादून।